न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 401/2022

अंशु कुमार सिंह.................................वादी।

बनाम्

पूनम देवी वगैरह्...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

29.11.2024 उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–21.05.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वर्तमान मुकदमें में प्रतिवादी सं0 03 विभूति सिंह की मृत्यु दिनांक 16.09.2023 को हो चुकी है। वादी को कानूनी जानकारी नहीं रहने के कारण समय सीमा के अंतर्गत आवेदन दाखिल नहीं कर सका है तथा अनुरोध करते है प्रतिवादी सं0 3 विभूति सिंह का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके वारीसान राज नारायण सिंह तथा अभिषेक कुमार सिंह का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन अधिनियम का आवेदन भी दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के प्रतिस्थापन आवेदन का विलम्ब के आधार पर विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अवलोंकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र पर समर्थित है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 03 विभूति सिंह की मृत्यु की बात से इन्कार नहीं किया गया है बल्कि आवेदन दाखिल करने में बिलम्ब के आधार पर आपत्ति दर्ज किया गया है। अतः उपरोक्त के आलोक में वादी के तरफ से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को मो0 300/– तीन सौ रूपये के खर्चे पर क्षांत किया जाता है तथा वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 21.05.2024 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 दफा 151

लगातार

29.11.2024 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 03 विभूति सिंह का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसानों राज नारायण सिंह तथा अभिषेक कुमार सिंह का नाम मृत प्रतिवादी सं0 03 के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित

करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 03 विभूति सिंह का नाम कलमजद करते हुए उनके वारीसानों का नाम मृत प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षीकाएँ दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–31.01.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)

Yxkrkj
21-10-024